# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 210 / 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 335

प्रार्थी बनाम विप्रार्थी

**प्रार्थी**

1.केसराराम पुत्र राजूराम

2.कबूदेवी पत्नि राजूराम

3.चूनाराम पुत्र चौथाराम

4.चिमनाराम पुत्र अचलाराम

5.दलाराम पुत्र अचलाराम

6.धुड़ाराम पुत्र चौथाराम

7.धनी पत्नि अचलाराम

8.भलाराम पुत्र गेनाराम

9.भोमाराम पुत्र गेनाराम

10.भोमाराम पुत्र राजूराम

11.मुकनाराम पुत्र राजूराम

12.मांगाराम पुत्र गेनाराम

13.रामूदेवी पत्नि गेनाराम

14.विरधाराम पुत्र अचलाराम

15.शंकरराम पुत्र गेनाराम

जाति कुम्हार निवासीचौकड़ियों की ढाणी तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

**विप्रार्थी**

1.अणदाराम पुत्र आदूराम

2.तुलसाराम पुत्र आदूराम

3.नैनाराम पुत्र आदूराम

4.मीरो चौधरी पत्नि चिमनाराम

5.चिमनाराम पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी भीमरलाई स्टेशन तहसील पचपदरा

6.खेताराम पुत्र मोटाराम

7.गेनाराम पुत्र मोटाराम

8.डूंगराराम पुत्र टीकमाराम

9.देवाराम पुत्र टीकमाराम

10.मीरो पत्नि टीकमाराम जाति जाट निवासी गोल सोढा तहसील पचपदरा

11.मेहराराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी चौकड़ियो की ढाणी तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

12.रूपोदेवी पत्नि मोटाराम जाति जाट निवासी गोल सोढा तहसील पचपदरा

13.केसाराम पुत्र हरखाराम

14.जुगताराम पुत्र हरखाराम जाति जाट

15.दमाराम पुत्र हरखाराम

16.नेनूदेवी पत्नि हरखाराम जाति जाट निवासी भीमरलाई स्टेशन तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

17.छगनकंवर पत्नि उ[illegible] [illegible]ति राजपूत निवासी [illegible] तहसील [illegible] व जिला [illegible]

18.कबूदेवी पत्नि हरीराम जाति [illegible]का

19.खेताराम पुत्र नाथाराम जाति राईका

20.शंकरराम पुत्र हरीराम नाबालिग जरिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:09:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

कुदरती वली माता कनूदेवी पत्नि हरीराम जाति राईका निवासी चौकड़ियों की ढाणी तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

21.सारो पत्नि भगाराम जाति राईका निवासी चौकडियों की ढाणी हाल बायतु व जिला बालोतरा

22.केसाराम पुत्र हरजीराम जाति कुम्हार निवासी हाल चौकडियों की ढाणी तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

23.गजरोदेवी पत्नि चिमनाराम जाति कुम्हार निवासी चौकड़ियों की ढाणी तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

24.उदाराम पुत्र रायमल जाति दर्जी

25.खंगार पुत्र रायमल जाति दर्जी

26.गंगा पुत्र रायमल जाति दर्जी

27.गणपतराम पुत्र भीखाराम जाति दर्जी

28.गणपतलाल पुत्र ताराराम जाति दर्जी

29.गीतादेवी पुत्री भीखाराम जाति दर्जी

30.गोमाराम पुत्र देवाराम जाति दर्जी

31.पूनमाराम पुत्र जवाराराम जाति दर्जी

32.पुष्पादेवी पुत्री भीखाराम जाति दर्जी

33.भैराराम पुत्र मकाराम जाति दर्जी

34.पानीदेवी पत्नि जुगताराम जाति दर्जी

35.मिसरीदेवी पत्नि ताराराम जाति दर्जी

36.रमेश पुत्र ताराराम जाति दर्जी

37.लीलादेवी पुत्री जुगताराम जाति दर्जी

38.सुंदरदेवी पत्नि भीखाराम जाति दर्जी

39.हिमताराम पुत्र भीखाराम [illegible] निवासी चौकडियों की [illegible] चांदेसरा तहसील पचपदरा

40.दरिया पत्नि हेमसिंह जाति राजपूत निवासी सिराणा तहसील सायला जिला जालौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:09:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

41.अणदाराम पुत्र मालाराम

42.रतानाराम पुत्र मालाराम

43.राणाराम पुत्र मालाराम

44.अणदाराम पुत्र नेनाराम

45.इन्दाराम पुत्र देवाराम

46.खेमाराम पुत्र उमाराम

47.गवरी पत्नि नेनाराम

48.गोमाराम पुत्र उमाराम

49.बाली पत्नि देवाराम

50.रूपाराम पुत्र उमाराम

51.हेमाराम पुत्र देवाराम जाति कुम्हार निवासी चौकड़ियों की ढाणी तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

52.मांगीलाल पुत्र कन्नीराम

53.लालूराम पुत्र कन्नीराम

54.भंवरलाल गौड़ पुत्र चून्नीलाल

55.मदनलाल पुत्र चुनीलाल

56.रणछोड़राम पुत्र चुनीलाल

57.शंकरलाल पुत्र चुनीलाल जाति बाहमण निवासी चौकड़ियों की ढाणी तहसील पचपदरा

58.सरपंच ग्राम पंचायत गोल स्टेशन

59.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**
**(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:09:12 IST
Reason: SelfAttested

**उपस्थिति–**

1. श्री प्रेमसिंह ,अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री पूनमाराम चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 11
3. श्री सांवलाराम मेघवाल अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 30

4.विप्रार्थी संख्या 1 से 10,12 से 29 व 31 से 59

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

# आदेश

दिनांक 15.3.2024

1.संक्षिप्त मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम चौकड़ियों की ढाणी पटवार हल्का गोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 22 क्षेत्रफल 40.8085 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 51 क्षेत्रफल 10.8617 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम चौकड़ियों की ढाणी पटवार हल्का गोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 22 क्षेत्रफल 40.8085 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 51 क्षेत्रफल 10.8617 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री पूनमाराम चौधरी द्वारा विप्रार्थी संख्या 11 की तरफ से वकालतनामा पेश किया तथा उक्त विप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया। अधिवक्ता श्री सांवलाराम मेधवाल द्वारा विप्रार्थी संख्या 30 की तरफ से वकालतनामा पेश किया गया,जवाब पेश नहीं किए जाने पर जबाव बन्द किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 से 10 ,12 से 29 व 31 से 59 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम चौकड़ियों की ढाणी पटवार हल्का गोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 22 क्षेत्रफल 40.8085 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 51 क्षेत्रफल 10.8617 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक क[illegible]ला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय [illegible] की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kuma
Date: 2024.05.21 19:09:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

काबिज रहता है। इस कारण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम चौकड़ियों की ढाणी पटवार हल्का गोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 22 क्षेत्रफल 40.8085 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 51 क्षेत्रफल 10.8617 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

**4.**इसके विपरीत वकील विप्रार्थी संख्या 11 की बहस है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि एवं विप्रार्थी की खातेदारी भूमि के बीचों बीच 50–60 वर्ष पुरानी सेढा माई कायम है। विप्रार्थी की ओर से प्रार्थीगण की खातेदारी में कभी भी दखलदान्जी नहीं की गई है और न ही प्रार्थीगण की सेढ माढ को नुकसान पंहुचाया गया है। प्रार्थीगण आवेदन पत्र की आड़ में विप्रार्थी की खातेदारी भूमि को हड़प करने की नियत से हस्तगत प्रकरण पेश किया गया है। इस कारण प्रार्थीगण का आवेदन पत्र गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें

**5.**वकील विप्रार्थी संख्या 30 ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबंदी की जाती है तो आपति नहीं है।

**6.**हमनें उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम चौकड़ियों की ढाणी पटवार हल्का गोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 22 क्षेत्रफल 40.8085 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 51 क्षेत्रफल 10.8617 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसकें प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होतें है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–

**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:09:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं है,जिससे साबित होता हो कि विवादित भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद हों। ऐसी स्थिति में RLR ACT. की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

**6.**उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

**–:आदेश:–**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम चौकड़ियों की ढाणी पटवार हल्का गोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 22 क्षेत्रफल 40.8085 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 51 क्षेत्रफल 10.8617 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करते हुए विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे।

(राजेश कुमार)
**उपखण्ड अधिकारी**
**बालोतरा**

आदेश आज दिनांक 15.3.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

**उपखण्ड अधिकारी**
**बालोतरा**

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kuma
Date: 2024.05.21 19:09:12 IST
Reason: SelfAttested